अध्याय VI: खान मंत्रालय

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

6.1 कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट के निर्माण के प्रति अलाभप्रद व्यय

प्रयोग संयंत्र के प्रचालन और इसकी व्यवहार्यता/सफलता का सत्यापन किए बिना कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट का पूर्णरूप से निर्माण करने के कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹158.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल/कम्पनी) ने आर्थिक सामग्री यथा सोना, चांदी आदि की वसूली करने के लिए ओर बेनीफिसीएशन प्रोसेस के माध्यम से उप-उत्पाद अर्थात् कापर ओर टेलिंग्स को प्रोसेस करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, कम्पनी ने एक अनुसंधान और विकास परियोजना के रूप में ₹6.98 करोड़ के कुल मूल्य पर 200 टन कॉपर ओर टेलिंग्स प्रतिदिन मानने की क्षमता के साथ खेतड़ी कॉपर काम्पलैक्स (केसीसी) में एक प्रायोगिक संयंत्र के डिज़ायन, आपूर्ति, सिविल कार्य, प्रतिष्ठापन, चालू करने और प्रचालन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद चालू करने की तारीख से 12 महीने के अन्दर अथवा एचसीएल द्वारा यथा निर्णीत पहले पूरा किए जाने वाली एक संविदा मैसर्ज स्टार ट्रेस प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) को प्रदान की। यह प्रायोगिक परियोजना इसकी तकनीकी - वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित की गयी थी ताकि प्राप्त हुए परिणामों के आधार पर एक वाणिज्यिक संस्थान की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके।

कम्पनी ने जून 2016 में प्रायोगिक परियोजना चालू करने से पहले ही मलंजखंड कॉपर परियोजना (एमसीपी) पर एक पूर्णकालिक संयंत्र संस्थापित करने का निर्णय लिया (मई 2016) जोकि परीक्षण स्तर पर केसीसी प्रायोगिक संयंत्र के प्रारम्भिक परिणामों के आधार पर 10,000 एमटी कॉपर टेलिंग्स प्रतिदिन संसाधन करने की क्षमता के साथ था। कम्पनी के तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन और पूर्णकालिक कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट के एसबीआई केप के वित्तीय मूल्यांकन (जनवरी 2017) के आधार पर, कम्पनी ने एमसीपी पर 3.29 मिलियन टन प्रतिवर्ष कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट की संस्थापना के लिए एकल निविदा आधार पर एसटीपीएल को ₹280 करोड़ (दो वर्षों

के लिए उपरोक्त संयंत्र के प्रचालन और रख-रखाव के प्रति ₹85 करोड़ सहित) की संविदा प्रदान की (मार्च 2017)। उपरोक्त संयंत्र नवम्बर 2017 तक पूरा किया जाना था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- पूर्णकालिक कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट का कम्पनी का तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन और संभाव्य और व्यवहार्य के रूप में उसका एसबीआई केप का वित्तीय मूल्यांकन केसीसी प्रायोगिक परियोजना के मात्र तीन दिन के निष्पादन पर आधारित था। इसलिए, प्रायोगिक संयंत्र के परीक्षण स्तर के निष्पादन के आधार पर केसीसी (जून 2016) पर प्रयोगिक संयंत्र को चालू करने से पहले ही एमसीपी पर एक पूर्णकालिक संयंत्र संस्थापित करने का प्रबन्धन का निर्णय (मई 2016) असावधानीपूर्ण और अविवेकपूर्ण था। इसके अतिरिक्त, अपस्केलिंग के लिए निर्णय लेने से पूर्व किसी भी स्तर पर प्रायोगिक परियोजना के अद्यतन निष्पादन पर विचार नहीं किया गया था।

- ₹2.06 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के साथ दो बार समयविस्तार के बावजूद 33 महीने के प्रचालन के बाद भी प्रायोगिक परियोजना अपने परिकल्पित पैरामीटर प्राप्त करने में विफल रही और निष्पादन मूल्यांकन के लिए गठित की गयी (नवम्बर 2018) समिति द्वारा वाणिज्यिक के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं पर भी अव्यवहार्य पाई गई।

- एमसीपी संयंत्र (अगस्त 2018/अक्टूबर 2018) के लिए जांच परीक्षण और विश्वसनीयता जांच (दिसम्बर 2018) वांछित परिणाम प्राप्त होने में विफल रहे। फरवरी 2019 में बंद हुई विफल प्रायोगिक परियोजना पर विचार किए बिना किए गए (अप्रैल 2019) 30 दिनों के लिए तीन पारी के परीक्षण भी असफल रहे परन्तु कम्पनी ने एसटीपीएल (जून 2019) द्वारा दी गयी नयी वचनबद्धता स्वीकार की, जो उचित नहीं था। एमसीपी पर पूर्ण कालिक संयंत्र 35 महीने (नवम्बर 2017 से अक्टूबर 2020 तक) के विलम्ब के बाद भी पूरा नहीं हुआ।

- प्रौद्योगिकी, जिसे अभी प्रमाणित किया जाना था, को अपनाकर कम्पनी ने न केवल अपने संसाधन व्यर्थ किए बल्कि प्रायोगिक संयंत्र के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना इसकी अप-स्केलिंग करके ₹158.05 करोड़ (₹8.49 करोड़ का प्रतिभूति जमा समायोजित करने के बाद) का अनुचित और अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय भी किया जोकि एक विफलता सिद्ध हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 2020) कि प्रायोगिक संयंत्र का पर्याप्त रूप से परिचालन किए बिना और इसकी सफलता को देखे बिना

3.29 एमटीपीए की क्षमता के साथ एमसीपी पर पूर्णकालिक कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट का निर्माण करने का कम्पनी का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹158.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

इसलिए चालू प्रायोगिक परियोजना के परिणामों/निष्कर्षों की अवहेलना और अप्रमाणित प्रौद्योगिकी के साथ एमसीपी पर वाणिज्यिक कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट के निर्माण की जल्दबाजी से ₹158.05 करोड़ निष्फल हो गए।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ जनवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

सिफारिश संख्या 8

कम्पनी को एक संबंधित चालू प्रायोगिक परियोजना के परिणामों/निष्कर्षों पर विचार किए बिना वाणिज्यिक संयंत्र के निर्माण हेतु लिए गए निर्णय में चूक का विश्लेषण करना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड

6.2 खनन पट्टे के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के प्रति परिहार्य व्यय

नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने एक की बजाय दो अलग अनुपूरक पट्टा विलेख निष्पादित करके 20 वर्षों के लिए खनन पट्टे के विस्तार के लिए ₹8.56 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के प्रति परिहार्य व्यय किया।

नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली[1] खाने हैं, जोकि कम्पनी के लिए बॉक्साइट ओर का मुख्य केपटिव स्रोत है। उपरोक्त के लिए खनन पट्टा ओडिशा सरकार द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिए नवम्बर 1982 में दिया गया था जो समय-समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम (एमएमडीआर एक्ट), 1957 के प्रावधानों के अनुसार था। चूँकि खनन पट्टा 16 नवम्बर 2012 को समाप्त हो रहा था, अत: अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने 20 वर्षों (नवम्बर 2032 तक) की अवधि के लिए खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन किया (अक्टूबर 2010)।

---

[1] *सेन्ट्रल और नार्थ ब्लाक*

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में जनवरी 2015 में संशोधन किया गया। चूँकि सरकारी कम्पनियों अथवा निगमों के संबंध में खनन पट्टे के नवीकरण के लिए संशोधित अधिनियम[2] में कोई प्रावधान नहीं था, अत: खान मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने आदेश दिया (फरवरी 2015) कि उन सभी सरकारी कम्पनियों अथवा निगमों के खनन पट्टे का नवीकरण 31 मार्च 2020 तक विस्तारित किया जाएगा जहां खनन पट्टा समाप्त हो गया था और उचित समय के अन्दर नवीकरण के लिए आवेदन किया गया था। तद्नुसार, ओडिशा सरकार ने 7 वर्ष 4 महीने और 15 दिन (31 मार्च 2020 तक) की अवधि के लिए पंचपटमाली खानों के लिए खनन पट्टे का नवीकरण प्रदान किया (अक्टूबर 2015)। कम्पनी ने 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए ₹8.56 करोड़[3] का भुगतान करके खनन पट्टे के उपरोक्त नवीकरण के लिए पहला अनुपूरक पट्टा विलेख निष्पादित किया (मार्च 2016)।

खान मंत्रालय, जीओआई ने खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियमावली, 2015 (नियमावली) अधिसूचित की (03 दिसम्बर 2015) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया कि खनन पट्टे (नियम 3 का उपनियम 2) की समाप्ति से कम से कम 12 महीने पहले सरकार कम्पनियों या निगमों द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर एक बार में 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे की अवधि का राज्य सरकार विस्तार प्रदान करेगी। तदनुसार, कम्पनी (जून 2016) के अनुरोध पर ओडिशा सरकार ने 16 नवम्बर 2032 तक खनन पट्टे का विस्तार प्रदान किया और 1 अप्रैल 2020 से 16 नवम्बर 2032 तक की अवधि के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के रूप में ₹17.12 करोड़[4] के भुगतान पर दूसरा अनुपूरक पट्टा विलेख कम्पनी ने निष्पादित किया (सितम्बर 2017)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने 3 दिसम्बर 2015 को अधिसूचित नए नियम के प्रावधानों पर विचार नहीं किया और 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए मार्च 2016 में पहला अनुपूरक पट्टा विलेख निष्पादित करते समय स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के रूप में ₹8.56 करोड़ प्रदत्त किए। उसके बाद, कम्पनी ने नए नियमों के अनुसार उसी खनन रिज़र्व के लिए पट्टे के नवीकरण के लिए पुन: आवेदन किया (जून 2016) और 1 अप्रैल 2020 से 16 नवम्बर 2032 तक की अवधि के लिए दूसरा अनुपूरक पट्टा विलेख

---

2 — 2 जनवरी 2015 से प्रभावी खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10)।

3 — ₹6.11 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹2.45 करोड़ की पंजीकरण फीस जिसे क्रमश: मार्च और अप्रैल 2016 में प्रदत्त किया गया।

4 — ₹12.23 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹4.89 करोड़ की पंजीकरण फीस

निष्पादित करने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के लिए ₹17.12 करोड़ प्रदत्त किए (सितम्बर 2017)।

भारतीय स्टाम्प (उड़ीसा संशोधन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 5 और 10 वर्षों के बीच पट्टा अवधि के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि के बराबर थी और 10 और 20 वर्षों के बीच की पट्टा अवधि के लिए यह आरक्षित औसत वार्षिक किराए, की दोगुना राशि के बराबर थी। इस प्रकार कम्पनी ने एक के बजाय दो भागों में 20 वर्षों के लिए खनन पट्टे का विस्तार निष्पादित किया और फलस्वरूप ₹8.56 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। यह कम्पनी की ओर से उचित सावधानी के अभाव को भी दर्शाता था।

प्रबन्धन/ मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2021/ जून 2021) कि 03 दिसम्बर 2015 को अधिसूचित विस्तार आदेश के प्राप्त न होने के कारण कम्पनी ने 1 अप्रैल 2020 से 16 नवम्बर 2032 तक की शेष अवधि के लिए खनन पट्टे के विस्तार के लिए ओडिशा सरकार से अनुरोध किया (जून 2016)। प्रबन्धन ने आगे बताया कि नवीकरण को चालू रखने की सहमति ₹8.56 करोड़ जमा किए बिना संभव नहीं हो सकती थी क्योंकि भुगतान न करने के कारण खनन प्रचालन रूक जाते। इसके आगे मंत्रालय ने कहा (जून 2021) कि कंपनी ने डीडीएम, कोरापुट, उड़ीसा सरकार को दूसरे अनुपूरक पहल करने के कारण अधिक धन राशि दिये जाने को विचार करने और लौटाने के लिये आवेदन किया है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कि खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियमावली, 2015 की दिनांक 03 दिसम्बर 2015 की अधिसूचना खान मंत्रालय द्वारा 08 दिसम्बर 2015 को प्रकाशित की गयी थी अर्थात् पहले अनुपूरक पट्टे के निष्पादन से 3 महीने 22 दिन पहले था और यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, प्रचालन के लिए सहमति का नवीकरण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के भुगतान पर आधारित नहीं था क्योंकि पंजीकरण फीस और स्टाम्प शुल्क (मार्च 2016) के भुगतान से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा द्वारा प्रचालन के लिए सहमति को नवीकृत किया गया था (फरवरी 2016)। मंत्रालय का जवाब कि कंपनी ने डीडीएम, कोरापुट, उड़ीसा सरकार को दूसरे अनुपूरक पट्टा करते समय अधिक जमा किये गये धन राशि को लौटाने के लिये आवेदन किया है लेखापरीक्षा के विचार को और प्रमाणित करता है कि प्रबंधन की खामियों के कारण ₹8.56 करोड़ का परिहार्य खर्च हुआ।

इस प्रकार, 3 दिसम्बर 2015 को अधिसूचित खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियमावली, 2015 के अनुसार खनन पट्टे के विस्तार प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रबंधन की ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप एक की बजाय दो भागों में खनन पट्टे के विस्तार के कारण ₹8.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुए।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ मार्च 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।